



UPBJ010030392024

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी- (Sri Avdhesh Kumar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074

सेशन्स केस संख्या 605/2024

सरकार

बनाम

डिगेन्द्र उर्फ बिजेन्द्र उर्फ डी0के0

आरोप

मैं अवधेश कुमार प्रथम, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्त **डिगेन्द्र उर्फ बिजेन्द्र उर्फ डी0के0** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ—

1— यह कि दिनांक 02-08-2024 को समय 09:30 बजे प्रातः स्थान ग्राम तिसोतरा सती माता के पास थाना नांगल जिला बिजनौर में आपने सह अभियुक्तगण मोन्टी, सत्यम व सागर के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा विरेन्द्र के पुत्र को लाठी-डंडो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **323/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण मोन्टी, सत्यम व सागर के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा विरेन्द्र के पुत्र को जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडो व तलवार से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुँचायी, यदि उक्त चोटों से वादी के पुत्र की मृत्यु हो जाती तो आप के आरोप के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **307/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण मोन्टी, सत्यम व सागर के साथ मिलकर वादी मुकदमा विरेन्द्र के पुत्र को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी-गन्दी गालियाँ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4 – यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण मोन्टी, सत्यम व सागर के साथ मिलकर वादी मुकदमा विरेन्द्र के पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा विरेन्द्र के पुत्र को लाठी-डंडो व तलवार से जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुँचायी, जाति सूचक गन्दी-2 गालियाँ तथा जानसे मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। उक्त अपराध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास या आजीवन कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डनीय है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3 (2) 5** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक 15-03-2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनांक 15-03-2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

UPBJ010030392024

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 605/2024

सरकार

बनाम

डिगेन्द्र उर्फ बिजेन्द्र उर्फ डी0के0

15-03-2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्त **डिगेन्द्र उर्फ बिजेन्द्र उर्फ डी0के0** जिला कारागार बिजनौर से अभिरक्षा में मय विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त डिगेन्द्र उर्फ बिजेन्द्र उर्फ डी0के0 के विरुद्ध धारा 323/34, 307/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनांक 15-03-2024

(अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त डिगेन्द्र उर्फ बिजेन्द्र उर्फ डी0के0 के विरुद्ध धारा 323/34, 307/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 29-03-2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनांक 15-03-2024

(अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।